कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त, अयोध्या।
पत्रांक 618 /14–10 (बाराबंकी) दिनांक, अयोध्या अगस्त 08/2019।

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– जनपद–बाराबंकी में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत एवं उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा मान्यता प्राप्त शेरवुड कालेज ऑफ इन्जीनियरिंग रिसर्च एवं टेक्नोलॉजी के मार्ग निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत लखनऊ–फैजाबाद मार्ग पर किमी0 18–19 के मध्य दांयी पटरी पर 0.063404 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 95/11–सी/ दिनांक 17–07–2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, बाराबंकी ने अपने कार्यालय पत्रांक 561/14–4–4 दिनांक 06–08–2019 **(छायाप्रति संलग्न)** जो इस कार्यालय को सम्बोधित एवं आपको तथा प्रयोक्ता विभाग को पृष्ठांकित है, द्वारा उक्त प्रकरण में इंगित की गयी बिन्दु संख्या–1से 18 तक की आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण वन प्रभाग स्तर/प्रयोक्ता विभाग स्तर से कराकर संशोधित प्रस्ताव की चार प्रतियां सी0डी0 सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, बाराबंकी द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित प्रस्ताव की तीन प्रतियां सी0डी0 सहित संलग्नकर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(के0सी0बाजपेयी)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी,सरयू क्षेत्र,अयोध्या।

पृ0सं0 618 / उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, बाराबंकी को उनके कार्यालय पत्रांक 561/14–4–4 दिनांक 06–08–2019 के कम में सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि जब तक उक्त गैर वानिकी कार्य कराये जाने की विधिवत स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त न हो जाय, तब तक किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य कदापि न होने दें।

प्रतिलिपि– निदेशक, शेरवुड कालेज ऑफ इन्जीनियरिंग रिसर्च एण्ड टेक्नोलॉजी, धरसनिया, जनपद–बाराबंकी को विषयगत सन्दर्भित पत्र तथा प्रभागीय वनाधिकारी, बाराबंकी के कार्यालय पत्रांक 561/14–4–4 दिनांक 06–08–2019, जो उन्हें भी पृष्ठांकित है, के कम में सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि जब तक उक्त गैर वानिकी कार्य कराये जाने की विधिवत स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त न हो जाय, तब तक किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य कदापि न प्रारम्भ किया जाय।

(के0सी0बाजपेयी)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी,सरयू क्षेत्र,अयोध्या।